

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जलपथ, गाँधी नगर, जयपुर


क्रमांक: 11 (2) / मो. / आईसीडीएस / RRS-MIS / 2017-18 81387-419 जयपुर, दिनांक
उपनिदेशक 10-5-18
महिला एवं बाल विकास विभाग
समस्त।

विषय:- राजधारा एप्प पर आंगनबाडी केन्द्रों की निरीक्षण रिपोर्ट के संदर्भ में ।
प्रसंग:- निदेशालय का पत्रांक 35398-430 दिनांक 28.02.2018 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि समेकित बाल विकास सेवाएं के अन्तर्गत संचालित आंगनबाडी केन्द्रों का निरीक्षण एवं मॉनेटरिंग राजधारा एप्प द्वारा की जा रही है। राजधारा एप्प के डैशबोर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि पर्यवेक्षकों द्वारा निदेशालय से जारी दिशा-निर्देशिका के अनुरूप नियमित समय पर रिपोर्ट नहीं की जा रही है।

इस संदर्भ में निदेशालय स्तर से बार-बार निर्देश देने के उपरान्त भी आंगनबाडी केन्द्रों के निरीक्षण की प्रगति रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है।


अतः उपनिदेशको निर्देशित किया जाता है कि बाल विकास अधिकारियों को निर्देश प्रदान करे कि पर्यवेक्षकों द्वारा राजधारा एप्प की रिपोर्टिंग की मॉनेटरिंग जारी दिशा निर्देशिका के अनुसार कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करावें अन्यथा निदेशालय द्वारा जारी आदेशों की पालना न करवाने व राजकार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर राजस्थान सेवा सीविल अधिनियम 17 सीसी के तहत कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी।


निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: 11 (2) / मो. / आईसीडीएस / RRS-MIS / 2017-18 81420-723 जयपुर, दिनांक
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :- 10-5-18

1. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी।
2. ACP उम्दा पत्र को किभागा की विवरणें डू पत्र
'अपलोड करें'।


अतिरिक्त निदेशक(आई.)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर